रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-297/2020/793/22-2-2020-17(336)/2009

लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2020

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध में सिद्धदोष बन्दी गुलजार (बन्दी संख्या-5956) पुत्र श्री जिन्दा, निवासी खुजनावर, थाना-फतेहपुर, जनपद-सहारनपुर को कारागार से मुक्त करने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-274/2020/461/22-2-2020-17(336)/2009 दिनांक 27 जुलाई, 2020 (प्रति संलग्न) की तीसरी तथा चौथी पंक्ति में अंकित "**सत्र परीक्षण संख्या-29/1997**" **के स्थान पर** "**सत्र परीक्षण संख्या-29/1979**" **पढा जाय।**

2 उक्त शासनादेश दिनांक 27-07-2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

संलग्नक-यथोक्त।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-297/2020/793(1)/22-2-2020 तद्दिनांक---

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा को उनके पत्र संख्या-3035/ए0आर0/2020, दिनांक 11.08.2020 के सन्दर्भ में ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in